रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2013/आषाढ़ 21, 1935

No. 348] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2013/ASHADHA 21, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 15 फरवरी, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 481(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा (3) के खण्ड (ज) और धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 8/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात,

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(क) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलायेंगे।

(ख) वे 5 अक्तूबर 2009 से लागू समझे जाएंगे।@

2. विनियम 4 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.8/2000-आरबी) में, विनियम 4 में, उप-विनियम (3) में, खण्ड (iv) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातद्व-

"(iv) किसी अनिवासी सेवा प्रदाता के पक्ष में, किसी निवासी ग्राहक जो एक सेवा आयातक है, की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित ऐसी शर्तों के अधीन।

बशर्ते कि 500,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि से अधिक राशि के लिए किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग/उपक्रम से अन्य किसी सेवा आयातक की ओर से कोई गारंटी जारी नहीं की जाएगी।

बशर्ते कि जब सेवा आयातक कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार का कोई विभाग/उपक्रम है तो 100,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसकी समतुल्य राशि से अधिक राशि के लिए गारंटी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना जारी नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजन के लिए, "सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनी है।"

[सं. फेमा. 259/2013-आर बी]
रुद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :-

(i) @ यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा।

(ii) मूल विनियमावली 5 मई 2000 के जी.एस.आर.सं.391(ई) के जरिये सरकारी राजपत्र भाग II, धारा 3, उपधारा (i) में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संसोधित की गयी :

19 अगस्त 2002 के जी.एस.आर.सं.575(ई)
16 नवंबर 2004 के जी.एस.आर.सं.745(ई)
9 फरवरी 2005 के जी.एस.आर.सं.61(ई)
14 मार्च 2007 के जी.एस.आर.सं.196(ई)
1 मई 2009 के जी.एस.आर.सं.298(ई)
1 मई 2009 के जी.एस.आर.सं.300(ई)
27 जुलाई 2010 के जी.एस.आर.सं.634(ई)
21 दिसंबर 2012 के जी.एस.आर.सं.914(ई)
------ के जी.एस.आर.सं.------
21 दिसंबर 2012 के जी.एस.आर.सं.917(ई)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th February, 2013

Foreign Exchange Management (Guarantees) (Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 481(E).— In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (3) of section 6 and sub section (2) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 8/2000-RB dated May 3, 2000), namely :—

1. Short title and commencement

(a) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Guarantees) (Amendment) Regulations, 2013.

(b) They shall be deemed to have come into effect from October 5, 2009.@

2. Amendment of the Regulations :

In the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 (Notification No.FEMA.8/2000-RB dated May 3, 2000), in regulation 4, in sub-regulation (3), in clause (iv) the following shall be substituted, namely –

"(iv) in favour of a non-resident service provider, on behalf of a resident customer who is a service importer, subject to such terms and conditions as stipulated by the Reserve Bank from time to time.

Provided that no guarantee for an amount exceeding USD 500,000 or its equivalent shall be issued on behalf of a service importer other than a Public Sector Company or a Department / Undertaking of the Government of India / State Government.

Provided further that where the service importer is a Public Sector Company or a Department / Undertaking of the Government of India / State Government, no guarantee for an amount exceeding USD 100,000 or its equivalent shall be issued without the prior approval of the Ministry of Finance, Government of India.

Explanation : For the purpose of this regulation, "Public Sector Company" means a Government company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956."

[No. FEMA. 259/2013-RB]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager

Foot Note:-

(i) @It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. No.391 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) and subsequently amended vide :

(i) No. G.S.R.575 (E) dated 19-8-2002
(ii) No. G.S,R.745 (E) dated 16-11-2004
(iii) No. G.S.R.61 (E) dated 9-2-2005
(iv) No. G.S.R.196 (E) dated 14-3-2007
(v) No. G.S.R.300 (E) dated 01-05-2009
(vi) No. G.S.R.298 (E) dated 01-05-2009
(vii) No. G.S.R. No. 634(E) dated 27-07-2010
(viii) No.G.S.R.No.914(E) dated 21-12-2012
(ix) No.G.S.R.No.______ dated __________
(x) No.G.S.R.No.917(E) dated 21-12-2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.